पश्चिम मध्य रेल

क्र.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/15.

कार्यालय
महानिरीक्षक-सह-मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर
दिनांक-29.09.2015

सीआई ओ/आईटी सेल/मुख्यालय
पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर

विषय-माह अगस्त-2015 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण।

*****

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न/- 04 पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त, अभियोजन
रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह अगस्त –2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
अगस्त –2015	27	27	75890	75890	44	00	00

बुकशुदा रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह अगस्त –2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
अगस्त –2015	01	01	18500	18500	04	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह अगस्त –2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
अगस्त –2015	28	28	94390	94390	48	00	00

धारा	दर्ज प्रकरणों की संख्या	जुर्माना स्वरूप वसूली गई राशि
137	3008	1326140
138	8825	3626350
139	0	0
141	409	170975
142	0	0
143	1	0
144	1178	664870
145	811	111305
146	19	9100
147	573	119900
153	0	0
154	15	63000
155	1052	96170
156	288	35540
157	0	0
159	764	136950
160	13	11950
161	0	0
162	549	45335
163	0	0
164	1	1000
165	0	0
166	0	0
167	58	4300
172	0	0
173	0	0
174	13	16300
175	0	0
176	0	0
180(g)	0	0
Total	**17,577**	**64,39,185**

रेल अधिनियम के तहत माह अगस्त 2015 में की गई कार्यवाही का विवरण

रे.सु.ब./पमरे द्वारा माह के दौरान किये गये अन्य अच्छे कार्यो का ब्यौरा :-

a. दिनांक 04.08.15 को गाड़ी संख्या 13201 जनता एक्स. में तैनात अनुरक्षण दल में श्री बृज मोहन दीवान हमराह 04 स्टाफ द्वारा रेल खण्ड हरदा-खिरकिया के मध्य कि.मी. नं. 646/17 के पास गाड़ी के रुकने पर पाया गया कि रेलवे ट्रेक के किनारे से उपर तक पानी का तीव्र प्रवाह था, अनुरक्षण दल द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये गाड़ी के 04 कोचो के यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। इसी दौरान डाउन ट्रेक से गाड़ी संख्या 11071 कामायनी एक्स. गुजरते समय उसके कई कोच गिर गये मौके पर रेसुब/रेसुविब के उक्त बल सदस्यों के अलावा अन्य कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नही था। उक्त प्रधान आरक्षक के प्रतिनिधित्व में उक्त अनुरक्षण दल के द्वारा निसंदेह अति उत्कृष्ठ सराहनीय कार्य किया गया।

b. कटनी पोस्ट के अंतर्गत दिनॉक 04.08.15 को यात्री संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु रे0सु0ब0 कटनी मे बनी समन्वय टीम द्वारा गस्त दौरान कटनी स्टेशन से एक व्यक्ति को संदिग्धावस्था मे घूमते हुए पकडा गया था। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम व पता छोटू उर्फ सुमित जैसवाल वल्द सुग्रीव जैसवाल उम्र 20 साल सा0 सोनी का बगीचा थाना सिटी कोतवाली जिला कटनी म0प्र0 बताया। दौराने पूछताछ उसने यात्री सामान चोरी करना एवं सिटी कोतवाली मे अपराध पंजीकृत होना बताया। उक्त को पकडकर सिटी कोतवाली कटनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया था। सिटी कोतवाली कटनी द्वारा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्र0ः 163/15 धारा 151 आईपीसी कायम कर विवेचना मे लिया गया है।

c. कटनी पोस्ट के अंतर्गत दिनॉक 04.08.15 को उप निरीक्षक अनिल कुमार झा साथ हमराह स्टॉफ के गस्त पर थे । दौराने गस्त कटनी रेलवे स्टेशन मे एक बच्चा लावारिस हालत मे पाया गया जिसने अपना नाम रोहित शर्मा पुत्र बेरेलाल उम्र-08 साल निवासी अखरार थाना चंदिया जिला-उमरिया बताया है को समक्ष उपरोक्त गवाहान चाइल्ड लाइन कटनी के कर्मचारी शैलेंद्र सिंह चौहान मो0 नं0ः 9754872787 को देख रेख एवं उक्त बच्चे के परिजनों का पता कर उसके परिजनों को सुपुर्द करने हेतु पाक साफ हालत मे सुपुर्द किया गया।

d. दिनांक 05.08.2015 को गाडी संख्या-59811 (कोटा-आगरा पैसेन्जर) के रेलवे स्टेशन गंगापुरसिटी आगमन पर एक यात्री द्वारा रेसुब चौकी गंगापुरसिटी में सूचना दिया कि उक्त गाडी के सामान्य कोच नं. WC-11426 में एक व्यक्ति अचेत अवस्था में उपर वाली सीट पर पडा है। सूचना पर सउनि दशरथ सिंह मय स्टाफ मौके पर पहुँचे, जहां एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा मिला। यात्रियों के बताये अनुसार अचेत व्यक्ति की जेब से पैसे निकालने वाले अन्य जो उसके सामने वाली सीट पर बैठा था जिससे पूछताछ किया तो अपना नाम नारद उर्फ सुशील पुत्र बालकिशोर, उम्र-40 वर्ष, निवासी-मदनपुर, थाना-महमदाबाद, जिला-फरुखाबाद (उ0प्र0) बताया। अचेत व्यक्ति को चिकित्सालय गंगापुरसिटी में भर्ती करवाया गया तथा यात्री नारद को जीआरपी गंगापुरसिटी को सुपुर्द किया गया। आचेत व्यक्ति के होश में आने पर अपना नाम शिवपूजन पुत्र पून्नी लाल, उम्र-45 वर्ष, निवासी-139, थाना-भारिया, जिला-इलाहाबाद (उ0प्र0) बताया तथा उसने उक्त यात्री नारद को पहचानते हुये बताया कि इसी ने उसे चाय पिलाई जिससे वह बेहोश हो गया। इस पर जीआरपी गंगापुरसिटी द्वारा यात्री शिवपूजन की शिकायत पर आरोपी नारद के खिलाफ जीआरपी/गंगापुरसिटी अ0क्र0 64/2015 धारा 328, 379 भादंसं दिनांक 05.08.2015 कायम किया।

e. सतना पोस्ट के अंतर्गत दिनांक 05.08.15 को उपनिरीक्षक राहुल रावत गस्त के दौरान सतना स्टेशन के प्लेटफार्म नं 01 पर एक बालक संदिग्ध अवस्था में पाया गया जिससे पूछताछ करने पर बताया कि

चार व्यक्ति ने करीब 5-6 दिन पहले उसका अपहरण कर लिया था वही व्यक्ति उसे स्टेशन लेकर आयेा अतः घटना की गम्भीरता को समझते हुये तुरंत अपहरणकर्ताओं की तलाश की गयी लेकिन नही मिलने पर बच्चे को अपनी कस्टडी मे लेकर आरपीएफ पोस्ट पर आये और जिला पुलिस बल को सूचित किया गया जिस पर थाना रामपुर बाघेलान मे उक्त बालक के अपहरण का मुकद्दमा क्रमांक 405/15 धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता दिनांक 30.07.15 को पंजीकृत होना बताया। आरपीएफ की सूचना पर पुलिस अधिक्षक कार्यालय से सहायक उपनिरीक्षक श्री रणछोर प्रसाद मिश्रा एवं बालक के परिजन आरपीएफ पोस्ट पर उपस्थित हुये। जिन्हें आवश्यक कार्यवाही के बाद बालक दीपक अग्निहोत्री को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया।

f. सतना पोस्ट के अंतर्गत दिनांक 07.08.2015 को उपनिरीक्षक राहुल रावत के नेतृत्व मे रिक्रूट आरक्षक श्री मोहनदास, रिक्रूट आरक्षक श्री भदन सिंह व रिक्रूट आरक्षक श्री नरेश सिंह को प्रशिक्षण के दौरान यार्ड एरिया में सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगाया गया था। गाड़ी संख्या 18205 समय 07:00 बजे प्लेटफार्म नं. 03 पर आई जैसे ही गाड़ी प्लेटफार्म मे खड़ी होने वाली थी उसी समय गाड़ी से उतरकर एक लड़का संदिग्ध हालत मे भागते हुये दिखाई दिया, जिसको पकड़ गया एवं उसके कब्जे से 05 मोबाइल पाये गये। जिसके संबंध मे पूछने पर उसने गाड़ी संख्या 18205 से चोरी करना स्वीकार किया। जिसे जीआरपी सतना को सुपुर्द किया गया जीआरपी सतना द्वारा उक्त लड़के के विरुद्ध अ.क्र. 04/2015 धारा 41(1-4) CRPC, 379 IPC दिनांक 07.08.2015 कायम कर मामले को जांच मे लिया गया। इस प्रकार उक्त अपचारी बालक के पास से अभी तक कुल 05 मोबाइल जब्ती की जा चुकी है।

g. दिनांक 11.08.2015 को उप निरीक्षक विजय सिंह को गस्त के दौरान प्लेटफार्म क्रमांक 02/03 पर पैदल पुल से भोपाल छोर की तरफ उतरते समय एक ब्राउन कलर का पर्स मिला था, जिसे समक्ष गवाहन चेक करने पर उसमें कलाम पुत्र जमालुद्दीन निवासी-हलाल पुर अंचल अमौर, जिला पूर्णिया का एक मतदाता पहचान पत्र क्रमांक जीक्यूबी 2015824, एक एसबीआई का एटीएम कार्ड तथा नगद 1320/रु पाए गए तथा उसी के अन्दर एक एयरटेल कम्पनी के सिम कार्ड का कवर जिस पर मोबाइल नम्बर 7869688275 अंकित है। उक्त मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क किया गया तो बात करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम कलाम पुत्र जमालुद्दीन निवासी-ग्राम सिमलवाड़ी, थाना अमौर जिला पूर्णिया बिहार का निवासी है तथा गुरमखेड़ी में काम करता है। बाद उसके पोस्ट पर उपस्थित होने पर समक्ष गवाहन उपरोक्त पर्स तथा उसमें रखे सामान/नगदी उसे सुपुर्द किया गया।

h. दिनांक 14.08.15 को समय 06:00 बजे डिप्टी एस.एस. सूखीसेवनिया श्री लीलाधर गौर ने सेक्शन अपराध की रोकथाम ड्यूटी मे रेसुबल भोपाल पोस्ट से तैनात प्र.आ. बी.पी पाण्डेय व आर. राकेश सिंह तोमर को मोबाईल से सूचना दिये कि गाडी संख्या 51828 झांसी-नागपूर पैंसेजर से एक व्यक्ति को महिला पर्स एवं मोबाईल चोरी करन वाले व्यक्ति को यात्रियों द्वारा पकडकर दिया है तथा फरियादी महिला यात्री नाम अंकिता पति श्री प्रकाश यादव उम्र 27 वर्ष निवासी कचहरी के पीछे खुरई जिला सागर म.प्र. भी साथ मे है, उक्त सूचना पर प्र.आ. बी. पी पाण्डेय, आ. राकेश सिह तोमर तुरंत सुखीसेवनिया स्टेशन पंहुचें, तथा पकडे गये व्यक्ति से नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम राजू पिता श्री किल्लू उम्र 21 वर्ष निवासी लहरापूर तहसील गांजीपूर जिला गांजीपूर उ.प्र. बताया तथा महिला द्वारा बताये दो पाइंट्समेंनो द्वारा पकडे गये व्यक्ति की तलाशी लिया गया तो उक्त व्यक्ति के पास दो मोबाईल, एक आर्टीफिशल मंगलसुत्र, जिसमें एक महिला यात्री का मोबाईल मिला जिसे महिला से लिखित फरियाद के साथ जीआरपी थाना भोपाल मे सउनि श्री वी.के. रजक को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया ।

i. कटनी पोस्ट के अंतर्गत दिनॉक 14.08.15 को रेलवे स्टेशन कटनी पर एक बच्ची उम्र करीबन 04 वर्ष रोते हुए रे0सु0ब0 स्टाफ कटनी को मिली। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रेनचई पुत्री श्री राका राजपूत पता ग्राम विरुली थाना रीठी जिला कटनी म0प्र0 बताया। उक्त बच्ची को रे0सु0ब0 पोस्ट कटनी

लाया गया। बाद उक्त बच्ची की मॉ लोन्चा पत्नि श्री राका राजपूत अपनी बच्ची को ढूडते हुए आई, बच्ची ने अपनी मॉ को पहचाना, बाद स0उ0नि0 आई एम पान्द्रो द्वारा समक्ष गवाहान सुपुर्दनामा बनाकर उक्त बच्ची को उसकर मॉ को सुपुर्द किया गया। दिनांक 15.08.15 को रेसुबल भोपाल पोस्ट के सउनि. श्री ओम प्रकाश के को गस्त के दौरान भोपाल स्टेशन प्लेटफार्म न. 01 पर एक लावारिश लडका घूमता मिला। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अर्जुन पिता श्री नागेन्द्र कुमार मोजी उम्र 10 वर्ष निवासी बूढा पहाड जिला झारखंण्ड बताया। जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु चाइल्ड लाईन संस्था टी. टी. नगर, भोपाल के कर्मचारी श्री जय प्रकाश को सुपुर्द किया गया ।

j. दिनांक 17.08.2015 को प्लेटफार्म नं. 01 सवाईमाधोपुर स्टेशन पर सउनि शिवराम सिंह द्वारा गस्त के दौरान गाडी संख्या–59806 से संदिग्ध हालत में उतरकर भागते हुये एक व्यक्ति मनोज पुत्र अमृत जाट, उम्र–17 वर्ष, निवासी–गोबरा, थाना–नदवई, जिला–भरतपुर को पकडा। पूछताछ करने पर उसके कब्जे से एक मोबाईल स्पाईस कम्पनी का स्वीच बंद स्थिति में मिला जिसे ऑन करने पर उक्त मोबाईल पर एक कॉल आई जिस पर बात करने पर कॉलकर्ता हरफूल पुत्र हजारी, उम्र–52 वर्ष, निवासी–बैरवा बस्ती, रघूवंटी मलारना डूंगर, जिला–सवाईमाधोपुर ने बताया कि उक्त मोबाईल चोरी होना बताया। बाद पीडित के आने पर उक्त सउनि द्वारा पकडे गये व्यक्ति को मय मोबाईल के जीआरपी थाना सवाईमाधोपुर को सुपुर्द किया गया। पीडित की शिकायत पर जीआरपी/सवाईमाधोपुर द्वारा अ0क्र0 65/2015 धारा 379 भादसं दिनांक 19.08.15 कायम कर उक्त पकडे गये व्यक्ति को गिरफ्तार कर मामले को जॉच में लिया गया।

k. दिनांक 16.08.2015 को रेसुबल पोस्ट इटारसी स्टेशन से उप निरी. विजय सिंह हमराह स्टाफ प्र.आर. ओमप्रकाश झारिया तथा प्रशिक्षु आरक्षक रविन्द्र यादव के साथ इटारसी स्टेशन पर अपराध की रोकथाम हेतु गस्त के दौरान समय 17.50 बजे गाडी संख्या 12779 के प्लेटफार्म नंबर 01 पर आगमन उपरांत सामान्य कोच से एक व्यक्ति संदिग्ध से पूछताछ करने पर वह घबरा गया बाद उसकी तलाशी ली गयी तो एक ब्राउन रंग का पर्स उसके पास मिला। इतनी ही देर मे एक यात्री जिसका नाम सुनील कुमार पुत्र श्री नारायण गौर उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम फुलडी पुलिस थाना रहट्गांव जिला हरदा (म.प्र.) ने कोच से उतर कर अवगत कराया कि उसका पर्स अभी–अभी चोरी हो गया है। उक्त पर्स उसे दिखाया गया तथा उसमे उसने अपना पहचान पत्र तथा नगदी रुपये 685/– हेाना बताया जिसे समक्ष गवाहन चैक करने पर उक्त पर्स की तश्दीकी कर उक्त पर्स उक्त व्यक्ति का ही होना पाया गया। पूछताछ करने पर पर्स चोरी करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम राजू बडेद्रे पुत्र स्व.अशोक निवासी गांधी नगर झोपड पट्टी भोपाल तथा फरियादी यात्री सुनील कुमार पुत्र श्री नारायण गौर ने बताया कि वह गाडी से सामान्य श्रेणी टिकिट क्रमांक सी 16154670 लेकर टिमरनी से भोपाल की यात्रा कर रहा था। पकड़े गये आरोपी एवं जप्त संपत्ति को शासकीय रेल पुलिस इटारसी को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया जहां उक्त फरियादी की शिकायत पर जीआरपी थाना इटारसी द्वारा अपराध क्रमांक–554/15 धारा 380 आईपीसी के तहत दिनांक 16.08.15 को दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

l. दिनांक 17.08.2015 को सउनि/सवाईमाधोपुर शिवराम सिंह द्वारा सवाईमाधोपुर स्टेशन गस्त के दौरान गाड़ी सं. 59802 में एक बाहरी व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पकडा जिसके पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कुलदीप पुत्र लालाराम, उम्र–26 वर्ष, निवासी–मलकपुर, पु.थाना–अनूप भाहर, जिला–बुलन्द भाहर (उ.प्र.) बताया। बाद उसे जीआरपी सवाईमाधोपुर को सुपुर्द किया। जीआरपी/सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त आरोपी के विरुद्व अ0क्र0 64/2015 धारा 4/25 Arms Act दिनांक 17.08.15 कायम किया गया।

m. सतना पोस्ट के अंतर्गत दिनांक 18.08.15 को उपनिरीक्षक श्री डी. के. पटेल हमराह स्टाफ रेलवे स्टेशन सतना में गस्त के दौरान एक किशोर बालक संदिग्ध अवस्था में पाये जाने पर से पूछताछ करने पर अपना नाम विकास विश्वकर्मा पिता घनश्याम प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 14 वर्ष निवासी ग्राम नयागांव थाना सभापुर जिला सतना (म0प्र0) हाल पुरानी कोतवाली के पास थाना नागौद जिला सतना (म0प्र0) बताया

तथा एक अनजान व्यक्ति घर से स्कूल जाते समय रास्ता पूछने के बहाने गाडी में बैठाकर ले आया और सतना में छोड दिया। पूछताछ कर बताये अनुसार किशोर बालक के चाचा राधेश्याम विश्वकर्मा को मोबाइल नं0 9753281545 तथा किशोर बालक के पिता घनश्याम प्रसाद विश्वकर्मा को मोबाइल नं0 9074051328 पर सूचित किया गया। उनके रेसुब सतना में उपस्थित होने के उपरांत बताया गया कि दिनांक 13.08.2015 से अपने निवास स्थान से लापता है जिसकी रिपोर्ट सिविल पुलिस थाना नागौद (म0प्र0) में दर्ज करायी गयी है। जिसपर सिविल पुलिस थाना नागौद में दर्ज गुम इंसान क्रमांक 43/2015 दिनांक 13.08.15 समय 20.40 बजे दर्ज किया गया है। उक्त किशोर बालक के पिता घनश्याम विश्वकर्मा पिता श्री सुदामा प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट नयागांव थाना सभापुर जिला सतना (म0प्र0) के सुपुर्द किया गया। दिनांक 19.08.2015 को मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष रेसुब भोपाल द्वारा दूरभाष संदेश द्वारा रेसुबल पोस्ट भोपाल स्टेशन पर सूचना दी कि रेल सुरक्षा बल कोंकण उपनिरीक्षक श्री शिवराम राठौर ने रेल्वे मोबाइल नं. 09686656145 से सूचना दी कि एक युवक जिसका नाम आकाश पुत्र आनन्द जे.के. वेनदुरकर गाड़ी संख्या 12629 यशवंतपुर संपर्कक्रांति के कोच नं.एस-4, में यात्रा कर रहा है। इस नाम की ID चेक कर सही पाए जाने पर उक्त उपनिरीक्षक कोंकण को तत्काल सूचना दे। सूचना प्राप्त कर सउिन श्री एस.के. शर्मा, हमराह स्टाफ के साथ गाड़ी अटेण्ड करने पर कोच नं.एस-4, के बर्थ नं. 65 बताए गए नाम पते का युवक मिलने पर उसे आरपीएफ पोस्ट भोपाल लाए बाद उपनिरीक्षक कोंकण को सूचना दी गई व युवक के मोबाइल से उसके पिता का मोबाइल नं. 09740749117 पर युवक के पिता को सूचना दी गई। पिता द्वारा युवक को आरपीएफ पोस्ट भोपाल पर रोकने कहा गया। दिनांक 21.08.2015 को युवक के पिता श्री आनन्द जे.के. वेनदुरकर पुत्र टिमप्पा उम्र 53 साल निवासी म.नं. 68/1 नारायणगुरु नगर सिरसी जिला उत्तरकन्नड़ (कर्नाटक), आरपीएफ पोस्ट भोपाल उपस्थित हुए। उनके द्वारा उनके पुत्र आकाश की पहचान की गई व आकाश द्वारा आनन्द जे.के. वेनदुरकर को उसका पिता होना बताया गया, तथा युवक आकाश अपने पिता आनन्द वेनदुरकर के साथ घर जाने को तैयार था। अतः युवक की सहमति पर उसे समक्ष गवाहन युवक के पिता आनन्द वेनदुरकर को पाकसाफ हालत में बिना किसी शिकवा शिकायत के सुपुर्द किया गया।

n. दिनांक 22.08.2015 मध्यप्रदेश पुलिस कैमोर के उपनिरीक्षक श्री एस.सी. पटेल द्वारा जीआरपी इटारसी को सूचना दी गई कि कैमोर से एक लड़का मुस्लिम ब्राहमण समाज की लड़की लेकर भाग गया है। जिनका मामला कैमोर थाने में अपराध क्र 147/2015 धारा 363 आई.पी.सी. पंजीकृत है उक्त दोनो लडका-लडकी नागपुर से गाडी संख्या 18237 डाउन के पिछले जनरल कोच में बैठे हुये है। उसी कोच में कैमोर के उपनिरीक्षक उनकी निगरानी करते आ रहे है। उन दोनो लडका-लडकी को इटारसी में उतरवाने के लिये जीआरपी इटारसी को सहयोग करने का मैसेज प्राप्त हुआ। जीआरपी इटारसी के साथ आरपीएफ उपनिरीक्षक श्री विजय सिंह साथ स्टाफ को लेकर उक्त गाडी को इटारसी में समय 04.25 बजे आगमन पर यात्री को अटैण्ड किया दोनो लडका-लडकी पिछले जनरल कोच में बैठे हुये थे। जिन्हे इटारसी में उतरवाकर जीआरपी इटारसी को सहयोग कर जीआरपी इटारसी के पास भिजवाया गया। लडकी का नाम-रूचि तिवारी उम्र 16 वर्ष कैमोर एवं लडके का नाम सेमी पुत्र रहीस खान उम्र 18 वर्ष निवासी कैमोर। उक्त लडकी को उसके माता-पिता को सुपुर्द किया गया तथा लडके को पुलिस कैमोर द्वारा गिसफ्तार कर कैमोर ले जाया गया।

o. दिनांक 23.08.2015 को रेसुबल पोस्ट इटारसी स्टेशन से प्रधान आरक्षक दिलीप धमन्या, मालगोदाम एरिया (वीट संख्या 7,8,9,23) मे रात्रि पाली मे ड्यूटी पर तैनात था समय लगभग 04.30 बजे जब वह खंडवा छोर से मालगोदाम साइड टार्च जलाते हुये जा रहा था। तभी माल गोदाम मे खडे ट्रक के नीचे से दो-तीन व्यक्ति भागे, जिन पर शक होने पर उनका पीछा किया गया किंतु रात्रि का सहारा लेकर वो लोग भागने मे सफल हो गये। बाद शोर शराबा सुनकर गाडी (ट्रक) मालिक तथा कंडकटर भी

मौके पर पहुचे। देखने पर पाया कि ट्रक नंबर एमपी-09 के 7219 की टंकी का ढक्कन खुला हुआ था तथा उसके नीचे एक कुप्पा रखा था और आसपास डीजल फैलने के निशान थे। भागने वाले तीनो व्यक्तियो के पास एक पिकअप नंबर एमपी 05 जी 7225 थी जिसे वे लोग छोडकर भागे गये थे। जिसमे उक्त ट्रक से चुराया हुआ लगभग 45 लीटर डीजल 03 प्लास्टिक के कुप्पो मे तथा एक चैंपियन कंपनी की 12 वोल्ट की बैटरी रखी पायी गयी। बाद ट्रक मालिक मनीष जैन पुत्र मदन लाल निवासी तीसरी लाईन इटारसी को पुलिस थाना इटारसी ले जाया गया। जिसकी फरियाद पर पुलिस थाना इटारसी मे तीन अज्ञात के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0633/15 धारा 379 आईपीसी दर्ज कर जांच मे लिया गया। आरोपियो की पतारसी/सुरागरसी जारी है। उक्त पिकअप वैन मय 45 लीटर डीजल एवं एक बैट्री सहित पुलिस थाना इटारसी के कब्जे मे है।

p. दिनांक 23.08.2015 को रेसुबल पोस्ट भोपाल पोस्ट से सहायक उपनिरीक्षक आर.के.बौरासी हमराह आरक्षक गोपाल सिंह यादव के साथ गस्त के दौरान भोपाल स्टेशन के पैदल पुल के ऊपर एक बालक अकेले देखा, बालक के पास जाकर पूछ्ताछ करने पर उसने अपना नाम अर्जुन सराठे पुत्र नंदकिशोर सराठे उम्र 14 साल निवासी वार्ड नं. 02, जैन लाइन बाड़ीकला तह. व थाना बाड़ी जिला रायसेन म.प्र., एवं घर से भागकर आना बताया। स्टाफ द्वारा उक्त बालक को पोस्ट पर लाया गया, तथा बालक के बताए अनुसार उसके पिता के मोबाइल पर बात कर सूचना दी गई एवं बालक को पोस्ट पर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 23.08.2015 को ही शाम के समय उक्त बालक के पिता नंदकिशोर सराठे पोस्ट पर उपस्थित होने पर उनके द्वारा बालक अर्जुन सराठे को पुत्र के रुप में पहचाना गया तथा बताया कि दिनांक 17.08.2015 को वह 2000/- रु देकर बालक को दुकान का किराया देने के लिए भेजा था। उसी समय वह पैसा लेकर बिना बताए घर से निकल गया। इस बाबत् नंदकिशोर सराठे ने आस पास तलाश करने के बाद बालक नही मिलने पर दिनांक 22.08.2015 को पुलिस थाना बाड़ी में गुमशुदगी का आवेदन दिया था। बाद समक्ष गवाहान बालक को बिना किसी शिकवा शिकायत के पाकसाफ हालत में उसके पिता को सुपुर्द किया गया है।

q. सतना पोस्ट के अंतर्गत दिनांक 24.08.15 को गाड़ी संख्या 12361 के कोच नं एस 11 के शौचालय मे एक लाल रंग का लावारिस बैग की सूचना पर सउनि. श्री मुख्तार खान साथ स्टाफ ने गाड़ी के कोच नं एस 11 को अटेण्ड किया, कोच में बैठे यात्रियों से बैग के बारे मे पूॅछताछ की तो बैग का लावारिस होना पाया गया तथा बैग को कोच से नीचे उतारा गया, जिसमे मोबाइल चार्जर 02 नग, शेविंग का सामान, साडियॉ 06 नग, पेटिकोट 03 नग, 06 ब्लाऊज, 04 शर्ट , 01 जोडी कुर्ता पैजामा ,01 बनियान, 01 टी शर्ट व 02 पैन्ट पाया गया जिसे एलपीओ कार्यालय सतना मे एल.पी.ओ. नं. 905 के अनुसार उक्त सामान जमा कराया गया है।

r. वरि. खण्ड अभियंता रेलपथ रीवा द्वारा रीवा रेल्वे परिसर मे कि0मी0नं0 1229/3-5 चोरहटा तिराहा के पास दिनांक 27.08.2015 को अतिक्रमण हटाने बाबत समुचित बल व सहयोग प्रदान करने हेतु उपनिरीक्षक रीवा को पत्र भेजा गया था। जिस पर दिनांक 27.08.2015 को सहायक मण्डल अभियंता अनु. सतना, वरि. खण्ड अभियंता कार्य रीवा, वरि. खण्ड अभियंता रेलपथ रीवा, वरि. खण्ड अभियंता विद्युत रीवा, व आरपीएफ के 06 स्टाफ की उपस्थिती मे रीवा रेल्वे परिसर मे कि0मी0नं0 1229/3-5 चोरहटा तिराहा के पास अनाधिकृत रुप से बनाये गये 12 कच्चे मकानों को जेसीबी मशीन के माध्यम से हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या व शांति व्यवस्था आदि भंग नही हुई। उपरोक्त संबंध मे सहायक मण्डल अभियंता अनु. सतना, से अनुरोध किया गया कि अतिक्रमण स्थल पर बाउन्ड्रीवाल या फेंसिंग आदि बनाई जाये ताकि पुनः अतिक्रमण न कर सकें।

s. दिनांक 27.08.2015 को बीट नं. 4-6 बीना एण्ड पर सील चेकिंग ड्यिूटी पर तैनात आरक्षक डेबिडदीन ने शिफ्ट इंचार्ज उपनिरीक्षक अजीत सिंह को समय करीबन 05.30 बजे सूचना दिया कि प्लेटफार्म नं. 06 पर एक व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है, तथा वह यात्रियो से 1000/-रु के नोट के

खुल्ले पैसे मांग रहा है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि उसके पास नकली नोट है। सूचना पर उपनिरीक्षक अजीत सिंह हमराह स्टाफ आरक्षक देवेन्द्र चक्रवर्ती, आरक्षक मनोज कुमार के साथ प्लेटफार्म नं. 06 पर पहुचकर मुसाफिर खाना से संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया जिसे आवाज देकर पास बुलाना चाहा तो वह भागने लगा जिस पर स्टाफ द्वारा घेर कर मौके पर ही पकड़ा पूछताछ करने पर नाम व पता देवेन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर उम्र 20 साल निवासी सीसर खरवला तह. हॉँसी पोस्ट खरवलाई थाना नारनोद जिला हिसार हरियाणा, बताया तथा स्टेशन पर आने के कारण जानने पर संतोषजनक जवाब नही दिया तथा संदिग्ध प्रतीत होने पर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक बड़े बैग से 1000/- रु, के कुल 15 नोट पाए गए जिन्हे देखने पर सभी नोट नकली मिले, एक लेपटॉप, दो बैंक एटीएम कार्ड, एक पीएनबी की पास बुक, एक कागजात की फाइल, व अन्य उपयोगी सामान तथा उसके पास मौजूद पर्स में से कुल 6030/- रु. असली मिले। मौके पर समक्ष गवाहान सभी सामानों की लिस्ट उपनिरीक्षक द्वारा तैयार की गई जिस पर मौका उपस्थित गवाहो द्वारा हस्ताक्षर किए गए, बाद पोस्ट पर उपस्थित होकर पकड़े गए व्यक्ति का कथन लेने पर बताया कि वह नकली नोटो को बस स्टैण्ड व रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ वाली जगहो पर अवैध तरीके से चलाता है, इसी मकशद से भोपाल स्टेशन पर आया था। बाद उक्त के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के लिए क्षेत्राधिकार पुलिस थाना जीआरपी भोपाल को मय तहरीर व पकड़े गए व्यक्ति को अग्रिम कार्यवाही हेतु सउनि जीआरपी भोपाल श्री जी.पी.कोल को सुपुर्द कर पावती ली गयी थी। दिनांक 27.08.15 को उपनिरीक्षक अजीत सिंह सिनसिनवार की तहरीर पर जीआरपी भोपाल सउनि गोपाल सिंह द्वारा आरोपी देवेन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर उम्र 20 साल निवासी सीसर खरवला तह. हॉँसी पोस्ट खरवलाई थाना नारनोद जिला हिसार हरियाणा को अपराध क्रमांक 829/2015 धारा 489 A, B IPC में गिरफ्तार किया गया है।

t. दिनांक 28.08.2015 को स.उ.नि. कमल सिंह यादव को ड्यूटी के दौरान इटारसी स्टेशन के पैदल उपरी पुल के पास प्लेटफार्म नं. 01 पर एक नाबालिक बच्चा आयु लगभग 04 साल रोता हुआ मिला, जिसे सउनि द्वारा डिप्टी एसएस के कार्यालय में ले जाकर उद्घोषणा करवायी तथा जीवोदय संस्था को सूचित किया। उक्त बालक के पिता श्री नरेश पटेल आयु 42 साल निवासी ग्राम-खेरूआ, थाना गाडरवारा, वहॉ उपस्थित हुए और उक्त बालक को अपना बच्चा बताते हुए उसका नाम रचित पटेल आयु 04 साल बताया। पूर्ण तस्दीक के बाद समक्ष गवाहन उक्त बालक को उसके पिता को सुपुर्द किया गया।

u. दिनांक 29.08.15 को मंसुनिकक्ष द्वारा घर से भागकर जा रही बच्ची की सूचना पर इटारसी स्टेशन पर गाडी 19046 को अटेड किया तो प्र.आर. दर्शन सिह मय स्टाफ स्कार्टिंग जबलपुर-इटारसी आये तथा एक बच्ची का नाम रंजना पटेल पुत्री शर्मालाल पटेल उम्र 14 वर्ष निवासी मानपुर थाना माढ़ा जिला इलाहाबाद उ.प्र.को लेकर बताया कि घर से भागकर जा रही है यात्रीयो ने शिकायत किया कि यह बच्ची घर से भागी है जिसे उपनिरी जयभारत ने डिप्टी एसएस इटारसी के पास ले जाकर बच्ची का रजिस्टर मे इन्ट्री कराया बाद जीवोदय संस्था के कर्मचारी नाज खान आयीं जो बच्ची को अपने साथ ले गयी।

v. जबलपुर पोस्ट के अंतर्गत दिनांक 29.08.15 को गाड़ी संख्या 19046 अप ताप्तीगंगा एक्स. में जबलपुर से इटारसी तक स्कॉर्टिंग डियूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक दर्शन सिंह व आरक्षक विजय बाबू यादव को गाड़ी में दौराने गस्त स्लीपर कोच क्रमांक एस/2 में यात्रा कर रही महिला यात्री पिंकी पाण्डेय पत्नी राजेन्द्र पाण्डेय, उम्र 26 साल, निवासी आजमगढ़ ने एक बच्ची की तरफ इशारा करके बताया कि वह लड़की अकेली व घर से भागी हुई लग रही है उक्त महिला के समक्ष उस लड़की से पूछताछ किये तो उसने अपना नाम रंजना पुत्री शर्मा लाल पटेल, उम्र 14 साल, निवासी ग्राम मानदा, थाना मांड़ा, जिला इलाहाबाद बताया और बतायी कि मेरी मॉं ने मुझे डाटा तो मैं अपने घर से भाग आई है। उक्त बल सदस्यो द्वारा गाडी के इटारसी पहुॅंच रेसुब इटारसी, स्टेशन अधीक्षक इटारसी की सहायता सेस इटारसी में कार्यरत् एनजीओ जीवोदय संस्थान, नेहरूगंज, इटारसी के सोशल वर्कर के सुपुर्द किया गया।

w. कटनी पोस्ट के अंतर्गत माह अगस्त 2015 मे यात्री संबंधी अपराधों के नियंत्रण हेतु गठित विशेष टीम द्वारा स्टेशन परिसर से 04 लोगों को संदिग्धावस्था मे संदेह होने पर पकडा गया था जिनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा रेल यात्रियों का सामान चोरी करना स्वीकार किया गया। पकडे गए उक्त व्यक्तियों क्रमांक 01 रवि सिंह वल्द राजकिशोर सिंह राजपूत सा0 शाहनी पिपरिया थाना पटेरा जिला दमोह म0प्र0 के तावे से 02 मोबाइल (Maxx IMEI- 911347761420785 - 911347701420773 एवं FORME IMEI- 911107903381946 & 911107903381953) एवं 02 बैग, 02. दीपू पटेल वल्द संपत पटेल सा0 राजीव गॉधी वार्ड कटनी म0प्र0 एक नग चोरी का मोबाइल Samsung DUOS IMEI- 358870/06/565946/5 & 358871/05/565945/3, 03. राहुल वल्द अनंतराम गुप्ता उम्र 21 वर्ष महात्मा गॉधी वार्ड गॉधीगंज थाना व जिला कटनी म0प्र0 से 03 नग मोबाइल (1. LAVA IMEI- 911253108282149 & 911253108682140, 2. LAVA IMEI- 911388362936921-911388363036921 and 3. SKING IMEI- 868971010700899-868971010700907), एक चॉदी का कडा एवं नगदी 67000 रु0 एवं रोहित वल्द श्यामसुन्दर मिश्रा उम्र 18 वर्ष सा0 तिलक कालेज के पीछे सोनी जी के मकान मे, के कब्जे से से 02 नग मोबाइल (Micromax EMEI- 911316809109770-911316809109788ए 2. OGO IMEI. नही लिखा है।) बरामद किये गये एवं पकडे गये आरोपी को जीआरपी कटनी के द्वारा विरुद्ध अपराध क्र0ः 10/15 धारा 41(1-4) सीआरपीसी, 379 आईपीसी के तहत दिनॉक 14.08.15 को कायम कर विवेचना मे लिया गया है। विवेचना अधिकारी उ0नि0/जीआरपी कटनी श्री एम एस पटेल हैं। इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 594 व्यक्तियों के विरुद्ध तम्बाकु अधिनियम (Prohibition of advertisement and regulation of trade, production, supply and distribution Act, 2003) के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 1,18,800/- रू. का जुर्माना वसूल किया गया।

-----0000-----